

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

तहसील अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.-158/2019

1. विश्वनाथ शर्मा पुत्र दामोदर शास्त्री, आयु 70 वर्ष, जाति ब्राह्मण, पेशा व्यापार निवासी बलौदा, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राज०) व 22/121, 5 स्ट्रीट पदमनामा नगर, ऐडीयार (चेन्नई) 6000020।

- वादी

बनाम

1. रघुनन्दन शर्मा पुत्र स्व० दामोदर शास्त्री, आयु 75 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बलौदा, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राजस्थान) निवासी C/o कंशल ट्रेडर्स, बढनी जिला सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश) 272201।
2. श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र स्व० दामोदर शास्त्री, आयु 73 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बलौदा, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राजस्थान) व निवासी 37 साकेत नगर, लक्ष्मीपुर, गोरखनाथ, जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) 273013।
3. "मृतक" विजय कुमार शर्मा पुत्र स्व० दामोदर शास्त्री, आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बलौदा, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राजस्थान) व निवासी ए-805 साहिल सिद्धि विनायगर टॉवर, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (मध्य प्रदेश) 452016।

"दौराने दावा देहान्त हो गया"

- 3/1. श्रीमती ममता शर्मा आयु 60 वर्ष स्त्री स्व० विजय कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ए-1004 साहिल सिद्धि विनायगर टॉवर, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (मध्य प्रदेश) 452016।
- 3/2. श्रीमती रिचा शर्मा पुत्री स्व० विजय कुमार शर्मा स्त्री अनुराग शर्मा, आयु 42 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ए 603 सोलीटेयर अपार्टमेंट, सरवे नम्बर 17/1 बी 2,3,4 लोहेगोन दनोरी रोड, पूने (महाराष्ट्र) 411015।
- 3/3. श्रीमती रश्मि शर्मा पुत्री स्व० विजय कुमार शर्मा स्त्री प्रकाश शर्मा उम्र 40 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ए-फ्लेट नम्बर 5 ग्राम फ्लोर, दिव्या दर्शन एपीटीएस विसेमाला कॉलेज रोड नासिक (महाराष्ट्र) 422005।

- 3/4. दीपक शर्मा पुत्र स्व० विजय कुमार शर्मा आयु 38 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ए-  
1004 साहिल सिद्धि विनायगर टॉवर, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (मध्य प्रदेश)452016।
4. मु० दुर्गा देवी पुत्री स्व० दामोदर शास्त्री स्त्री स्व० रामकिशन शर्मा, आयु 66 वर्ष जाति  
ब्राहमण निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू (राज०) हाल निवासी भालोट  
तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज०)।
5. "मृतक" मु० सन्तोष पुत्री स्व० दामोदर शास्त्री स्त्री पुरुषोत्तम गौड़ आयु 65 वर्ष जाति  
ब्राहमण निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज० हाल निवासी 114 चन्द्र  
नगर लाल बंगला कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208007।  
"दौराने दावा देहान्त हो गया"
- 5/1. पुरुषोत्तम गोड पुत्र स्व० रामजीलाल गोड  
5/2. चन्दन गोड आयु 48 वर्ष पुत्र पुरुषोत्तम  
5/3. पंकज गोड आयु 44 वर्ष पुत्र पुरुषोत्तम  
समस्त जाति ब्राहमण निवासी 114 चन्द्रा नगर लाल बंगलो कानपुर (उ०प्र) -208007
- 5/4. मु० नीलम शर्मा स्त्री प्रदीप शर्मा, आयु 46 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी एन-5, 33  
के० आर० पुरम० सानीगांवन, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208021।
6. मु० सुमित्रा पुत्री स्व० दामोदर शास्त्री स्त्री बाल शास्त्री आयु 58 वर्ष जाति ब्राहमण  
निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज० हाल निवासी बी-1/122, बी-1ए  
-1ड, डुमराऊ बाग कॉलोनी अस्सी वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 221005।
7. आनन्द शर्मा आयु 32 वर्ष पुत्र स्व० देवकीनन्दन जाति ब्राहमण निवासी बलौदा तहसील  
सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज० हाल निवासी नगर पंचायत बढनी, वार्ड नम्बर 7 मोहल्ला  
पश्चिमी मन्दिर, देबरूआ प्रगना नौगढ़, तहसील शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर व  
निवासी 30/60 ऑफिसर फ्लैट, बैली रोड़, एपोजिट बिहार म्यूजियम, पटना  
(बिहार)-272201।
8. आशीष शर्मा आयु 28 वर्ष पुत्र स्व० देवकीनन्दन जाति ब्राहमण निवासी बलौदा तहसील  
सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज० हाल निवासी नगर पंचायत बढनी, वार्ड नम्बर 7 मोहल्ला  
पश्चिमी मन्दिर, देबरूआ प्रगना नौगढ़, तहसील शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर व  
निवासी 30/60 ऑफिसर फ्लैट, बैली रोड़, एपोजिट बिहार म्यूजियम, पटना  
(बिहार)-272201।
9. मु० ज्योति पुत्री स्व० देवकीनन्दन शर्मा स्त्री अभिमन्यू आयु 34 वर्ष जाति ब्राहमण  
निवासी 40/108 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान-302020।
10. मु० स्वाति पुत्री स्व० देवकीनन्दन शर्मा स्त्री शिवांग शर्मा आयु 29 वर्ष जाति ब्राहमण  
निवासी ए-53, शान्ति पथ तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान-302005।

1. अर्जुन लाल आयु 57 वर्ष पुत्र स्व० घीसाराम,
  2. राकेश कुमार आयु 55 वर्ष पुत्र स्व० घीसाराम,
  3. राजेन्द्र सिंह आयु 63 वर्ष पुत्र स्व० घीसाराम,
  4. श्रीमती महादेवी आयु 90 वर्ष स्त्री स्व० घीसाराम,
- समस्त जातिगण ब्राहमण, निवासीगण बलौदा, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०
15. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक -23.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क) वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख०न० 266 रकबा 2.44 है० वाके ग्राम बलौदा में वादी को 1/8 हक हिस्से का प्रतिवादीगण न० 1 लगायत 6 का 6/8 हक हिस्से का बहिस्सा, प्रतिवादी न० 7 लगायत 10 को 1/8 हक हिस्से का बहिस्सा कोटिनेन्टस (सह आसामी) है तथा जमीन हाल ख०न० 265 रकबा 2.24 है० के प्रतिवादी न० 11 लगायत 14 कोटिनेन्टस (सह आसामी) हैं। इसी प्रकार कृषि भूमि की खातेदारी हकूकों की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है और इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की तहरीर प्रतिवादी न० 15 को भेजी जावें।
- (ख) यह कि हकत्याग पत्र दिनांक 13.02.2013 बहक श्रीमती त्रिवेणी देवी विधि विरुद्ध होने से वादी के हकूक के खिलाफ शून्य है।
- (ग) यह कि दान पत्र दिनांक 15.09.2017 बहक प्रतिवादी न० 10 विधि विरुद्ध होने से वादी के हकूक के खिलाफ शून्य है।
- (घ) प्रतिवादी न० 1 लगायत 14 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 17क वाद पत्र से वादी को जबरदस्ती बेदखल नही करें, न विक्रय करे, न ऋण लेव, न वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें। न दान करें, न किसी प्रकार का हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करावें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

खर्चा दावा दिलवाया जावे।

अन्य सिद्धि जो वादी के हक में हो तथा भूलवश चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ० आदेश 7 नियम 7 सि०प्र०सं० के अनुसार दिया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 एवं 11 लगायत 14 की और से श्री सुनील कुमार शर्मा एड० ने वकातलनामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 7 लगायत 10 की और से श्री रामेश्वरदयाल एड० ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की मृत्यु होने पर वादी वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी से संशोधित टाईटल पेश कर इनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान 3/1 लगायत 3/4 की और से श्री सुनिल कुमार शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान 5/1 लगायत 5/4 की और से श्री शिवराजसिंह एड० ने वकालतनामा पेश किया एवं 1 लगायत 5 कुल दस्तावेजात पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी व प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 10 की ओर से प्रार्थना पत्र राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 15 जा०दी० पेश किया गया। वादी वकील एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करने पर अनापत्ति जाहिर की एवं पत्रावली पर हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 15 जा०दी० स्वीकार किया गया। वादी वकील व प्रतिवादीगण के वकीलों ने राजनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2074 से 77, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2074 से 77, प्रमाणित प्रतिलिपि मुख्तयारनामा, प्रमाणित प्रतिलिपि दान पत्र दिनांक 15.09.2017, प्रमाणित प्रतिलिपि हकत्याग पत्र दिनांक 13.02.2023 असल लिखावट/शपथ पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट हाल, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट गत, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2027 से 30, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2031 से 34, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 228, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिशोधन पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2053 से 56, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2044 से 63, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2049 से 52, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2053 से 56, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 292, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 233, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी

राजस्व वाद संख्या:- 158/2019  
विश्वनाथ बनाम रघुनन्दन वगै०  
निर्णय दिनांक:- 23.10.2023

सम्बत 2057 से 60, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 979, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्बत 2061 से 64, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्बत 2065 से 68, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्बत 2069 से 72, प्रार्थना पत्र राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 15 जा०दी०।

सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी वकील व प्रतिवादीगण के वकीलों ने राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 15 जा०दी० के अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

--: आदेश:--

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत हाल ख०न० 265 रकबा 2.24 है०, ख०न० 266 रकबा 2.44 है० वाके ग्राम बलौदा मे राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 15 जा०दी० के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ़ को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन उप जिला कलेक्टर,  
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन उप जिला कलेक्टर,  
सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

हासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 158/2019

निर्णय दिनांक :- 23.10.2023

विश्वनाथ बनाम रघुनन्दन वगै०

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सन्दीप मान एड० तथा प्रतिवादीण संख्या 3 लगायत 6, 11 लगायत 14 की ओर से श्री सुनील कुमार शर्मा एड०, प्रतिवादीगण संख्या 5/1 लगायत 5/4 की ओर से श्री शिवराज सिंह एड० एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 की ओर से श्री प्रेश कुमार एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.10.2023 को दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत हाल ख०न० 265 रकबा 2.24 है०, ख०न० 266 रकबा 2.44 है० वाके ग्राम बलौदा मे राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 15 जा०दी० के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ को तहरीर जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

C  
(दयानंद रूयल)  
उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन उप जिला कलक्टर,  
सूरजगढ